न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या 107 / 2017

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एफ बड़ा ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — वादी

—:: बनाम ::—

1. गुरतेज सिंह पुत्र श्री सरायण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादीगण

दावा पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत एवं घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 24.06.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 के खाता संख्या 17 / 20 के मुरब्बा नम्बर 57, 59, 60 की कुल 2.859 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी / प्रतिवादी संख्या 1 (गुरतेज सिंह पुत्र श्री सरायण सिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। वादी के पिताजी / प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिताजी को वादी के दादाजी से प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादी का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 17 / 20 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी शादी शुद्धा है, वादी एवं प्रतिवादी साथ संयुक्त परिवार में निवास करते थे, वादी एवं प्रतिवादी ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया :—

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
गुरदीप सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	चक 7 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 के खाता संख्या 17 / 20 के मुरब्बा नम्बर 57, 59, 60 की कुल 2.859 हैक्टर में से 2.479 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक
गुरतेज सिंह पुत्र सरायण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	चक 7 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 के खाता संख्या 17 / 20 के मुरब्बा नम्बर 57, 59, 60 की 0.380 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा की कृषि भूमि में से वादी को 2.479 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई एवं शेष 0.380 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 को कम कृषि भूमि प्राप्त हुई क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त रहने के दौरान समस्त कर्जा वादी ने वहन किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी गुरतेज सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकियां देता रहता है ।

प्रतिवादी उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी को दिनांक 02.05.2017 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

1. कि प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह पुत्र सरायण के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 के संयुक्त खाता संख्या 17/20 मुरब्बा नम्बर 57, 59, 60 की कुल 2.859 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.479 हैक्टर कृषि भूमि वादी गुरदीप सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे ।
2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग-अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत दुल्लापुर केरी में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 19.06.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री विजयपाल भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के संयुक्त खाता संख्या 17/20 मुरब्बा नम्बर 57, 59, 60 की कुल 2.859 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.479 हैक्टयर कृषि भूमि वादी {गुरदीप सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर) घरेलू बंटवारा अनुसार वादी (गुरदीप सिंह) को दी हुई है।

अतः चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के संयुक्त खाता संख्या 17/20 मुरब्बा नम्बर 57, 59, 60 की कुल 2.859 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.479 हैक्टर कृषि भूमि वादी {गुरदीप सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर) घरेलू बंटवारा अनुसार वादी (गुरदीप सिंह) के नाम घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार चूनावढ़ द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र में पक्षकारान नें लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व राजीनामा का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण को राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 गुरतेज सिंह पुत्र सरायण के नाम दर्ज चक 7 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के संयुक्त खाता संख्या 17/20 मुरब्बा नम्बर 57, 59, 60 की कुल 2.859 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.479 हैक्टर कृषि भूमि वादी गुरदीप सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर